

Accredited by NAAC  
With "B" Grade



Phone & Fax: 07592-234553  
E-mail : heggcvid@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य, राजमाता विजया राजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी)  
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक / 2794 / 24

विदिशा दिनांक 06-11-2024

प्रति,

आयुक्त महोदय (आईटी सेल)  
उच्च शिक्षा विभाग मप्र शासन  
भोपाल (म.प्र.)

विषय— सुरक्षाकर्मियों की निविदा आमंत्रण को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड कराने बावत्।  
—00—

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय में सुरक्षाकर्मियों को रखे जाने हेतु निविदा आमंत्रण को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने का अनुरोध है। अतः उक्त निविदा को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने की कृपा करें।

संलग्न – निविदा

डॉ.(श्रीमती) नीता पाण्डेय  
प्र.प्राचार्य

शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
विदिशा (म.प्र.)

Principal  
Govt Girls PG College.  
R.V.S. Govt Girls PG College,  
Vidisha (M.P.)



कार्यालय प्राचार्य, राजमाता विजया राजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी)  
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक / 2793 / 24

विदिशा दिनांक 06.11.2024

## ॥ निविदा आमंत्रण ॥

—00—


राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा में 3 सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता है। इस हेतु शासन से पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों से निविदा प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर महाविद्यालय में बंद लिफाफे में डाक अथवा भौतिक रूप से उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर निविदा आमंत्रित की जाती है।

### नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा पत्र शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा के नाम से प्रेषित किया जाये।
2. निविदा पत्र डाक या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में जमा करें। डाक की देरी अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदाएं दिनांक 20.11.2024 को कार्यालयीन समय दोपहर 01.00 बजे खोली जावेंगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
4. प्राचार्य के पास किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वविवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. संबंधित एजेन्सी के सुरक्षाकर्मी महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ महाविद्यालय/छात्रावास की सम्पत्ति (चल/अचल) एवं परिसर की 24 घण्टे सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में कभी कमी होने के कारण महाविद्यालय को (चल/अचल) सम्पत्ति में यदि किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है तो एजेन्सी द्वारा भरपाई करनी पड़ेगी।
6. सुरक्षा कार्य में लगाये गये कर्मियों का शिक्षित होना वाछंनीय है।
7. सुरक्षा एजेन्सी स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, प्रोटेक्टिव गारमेंट, फोटो परिचय पत्र आदि उपलब्ध करायेगी ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। वर्दी का रंग एवं डिजाइन की सूचना महाविद्यालय को दी जायेगी।
8. सुरक्षा एजेन्सी को अपने कर्मियों के लिए वाहन, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। न तो महाविद्यालय द्वारा यह सुविधा दी जावेगी एवं न इस प्रयोजन हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।
9. महाविद्यालय की कोई सामग्री महाविद्यालय द्वारा निर्धारित गेट पास होने पर ही बाहर जावेगी जिस पर महाविद्यालय के प्राचार्य/सक्षम अधिकारी कें हस्ताक्षर होंगे जिसका रिकार्ड गार्ड रूम में रखा जावेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा। बिना गेटपास के यदि कोई सामग्री बाहर जाती है तो इसकी जवाबदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी।
10. सुरक्षा एजेन्सी महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रति उत्तरदायी होगी एवं निर्देशानुसार कार्य करेगी।
11. सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व पुलिस विभाग से उनका सत्यापन करवाने का दायित्व सुरक्षा एजेन्सी का होगा। महाविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के पूर्व सुरक्षा एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय/पुलिस थाने में कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है।

*Signature*  
Principal  
R.V.S. Govt. Girls PG College,  
Vidisha (M.P.)

12. साप्ताहिक एवं अन्य अवकाश अथवा अन्य किसी कारण से सुरक्षा गार्डों की अनुपस्थिति की स्थिति में एजेन्सी तुरन्त संबंधित सुरक्षा गार्ड के स्थान पर अन्य सुरक्षा गार्ड की तैनाती की कार्यवाही करेगी। सुरक्षा व्यवस्था हेतु 24 घण्टे सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सुरक्षाकर्मी पूर्ण अनुशासन में रहेंगे।
13. सुरक्षा एजेन्सी के कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। एजेन्सी के कर्मचारी किसी भी परिस्थितियों में अपने वेतन आदि के लिए संस्था से सीधे सम्पर्क नहीं कर सकेंगे।
14. महाविद्यालय द्वारा समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
15. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्राचार्य को स्व-विवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना का अधिकार होगा एवं यह सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगा।
16. सुरक्षा एजेन्सी परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिए उत्तरदायी होगी। यदि ऐसा करने में वह विफल हुई तो प्राचार्य स्व-विवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना कर सकेंगे एवं सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगा।
17. यदि महाविद्यालय एवं सुरक्षा एजेन्सी के मध्य अनुबंध के अन्तर्गत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्राचार्य द्वारा दिया गया निर्णय सुरक्षा एजेन्सी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
18. सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्र अधिकार विदिशा न्यायालय तक सीमित होगा।
19. उक्त कर्मचारियों की आयु सीमा 21 से 55 वर्ष होना वाछनीय है।
20. निविदा सूचना में किसी भी प्रकार की टंकण त्रुटि को वाद का विषय नहीं बनाया जायेगा।
21. उपरोक्त पद पूर्णतः अस्थायी है तथा आमंत्रित अभ्यर्थी किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना से संबंधित तथा लोक सेवक नहीं माने जायेंगे। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी सूचना के उन्हें हटाने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

  
 डॉ. (श्रीमती) नीता पाण्डेय  
 प्र.प्राचार्य  
 शासकीय कन्या (अग्रणी) महाविद्यालय,  
 विदिशा (म.प्र.)

5/11/24  
 Principal  
 Govt. Girls PG College,  
 Vidisha (M.P.)